न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0 एस0–351/2014

01.09.2023

वादी की पैरवी है तथा प्रतिवादी अनुपस्थित है। प्रस्तुत वाद वादी के तरफ से शपथ पत्र के साथ दिए गए आवेदन दिनांक–30.09.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिववक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मुकदमा हाजा में मुदालेह नंबर–3 भोला पासी दिनांक–15.07.2022 को अपने वारिसानों को छोड़कर वफात कर गये हैं उनके कुल जगह जायदात पर उनके वारिसानों का कानूनी अधिकार है। अतः निवेदन है कि मृत मुदालेह का नाम अर्जी से काट कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रतिवादी को दिनांक–04.08.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि मुदालेह नंबर–3 भोला पासी की मृत्यु दिनांक–15.07.2022 को हो चुकी है। वादी का आवेदन समय–सीमा के अन्दर है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–30.09.2022 स्वीकृत किया जाता है।

कार्यालय लिपिक नियमानुसार मृतक का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करे।

वाद दिनांक–............................वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय